

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2019—माघ 19, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए -3-26/2018/1/पांच (04) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-26/2018/1/पांच (74) दिनांक 29 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,-

- (i) खंड (i) में "31 अगस्त, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "31 जनवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (iv) में "30 सितंबर, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "28 फरवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-26-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-26-2018-1-पांच (04), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F-A-3-26-2018-1-V(04)

Bhopal, the 8th February 2019

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department notification No. F A-3-26/2018/1/V (74) dated 29 August, 2018, namely :

- In the said notification, in paragraph 2, -
- (i) in clause (i), for the figures, letters and word "31st August, 2018", the figures, letters and word "31st January, 2019" shall be substituted;
 - (ii) in clause (iv), for the figures, letters and word "30th September, 2018", the figures, letters and word "28th February, 2019" shall be substituted.

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (05) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (82) दिनांक 29 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-63-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-63-2017-1-पांच (05), दिनांक 8 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-63-2017-1-V(05)

Bhopal, the 8th February 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department notification No. F A-3-63/2017/1/V (82) dated the 29th September, 2018, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act.”

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए -3-03-2018-1-पांच (06) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-03-2018-1-पांच (4) दिनांक 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-03-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-03-2018-1-पांच (06), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-03-2018-1-V(06)

Bhopal, the 8th February 2019

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department notification No. F A-3-03-2018-1-V-(4) dated 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said details in FORM GSTR-1 between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-85/2017/1/पांच (07) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-59-2017-1- पांच (99) दिनांक 7 दिसम्बर, 2018, अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-77-2017-1- पांच (140) दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 और अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-85-2017-1- पांच (150) दिनांक 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-85-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-85-2017-1-पांच (07), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F-A-3-85-2017-1-V(07)

Bhopal, the 8th February 2019

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)(hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of this department notification No. F A-3-59-2017-1-V (99) dated 5th September, 2017, notification No. F A-3-77-2017-1-V (140) dated 24th October, 2017 and notification No. F A-3-85-2017-1-V (150) 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR3B for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues:

Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए -3-93/2017/1/पांच (08) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3-93/2017/1/पांच (162) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक की तिमाही के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि में उक्त विवरणी दे दी हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-93-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-93-2017-1-पांच (08), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-93-2017-1-V(08)

Bhopal, the 8th February 2019

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department notification No. F A-3-93/2017/1/V (162) dated the 29th December, 2017, namely:-

In the said notification, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”

2. This notification, shall deemed to have come into effect from 31st December, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच (09).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

चूंकि, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,-

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

- (i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं ।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच (09), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-01-2019-1-V(09)

Bhopal, the 8th February 2019

WHEREAS, sub-section (4) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 37 of the said Act provides that-

Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity-

- (i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to sub-section (4) within the stipulated time;
- (ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,

as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (4) of section 16 and sub-section (3) of section 37;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title—This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2018.-

2. In sub-section (4) of section 16 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.”

3. In sub-section (3) of section 37 of the said Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.”

By order and in the name of governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-03-2019-1-पांच (10).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए विकसित की जाने वाली इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली अग्रसरण प्रक्रम पर है, इसे प्रचालित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।
2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 मार्च, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-03-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-03-2019-1-पांच (10), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-03-2019-1-V(10)

Bhopal, the 8th February 2019

WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, through the electronic system to be developed is at the advanced stage, it may likely to take some more time for being made operational as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word “31st March, 2019”, the figures, letters and word “30th June, 2019” shall be substituted.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-02-2019-1-पांच (11).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियाँ, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियाँ भी हैं, के ब्यौर और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः, अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।
2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-02-2019-1-पांच (11).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-02-2019-1-पांच (11), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-02-2019-1-V(11)

Bhopal, the 8th February 2019

WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018; as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.
2. In section 52 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —

“Explanation: - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.”

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-33-2017-1-पांच (12).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (12) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3/33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 9 की उप धारा (1)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक "और धारा 15 की उप धारा (5)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I- 2.5% में,-

- (i) क्रम संख्या 23, 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, कूड या रफली ट्रिम्ड";
-------	------------	---

- (iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया";
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00, 6309से भिन्ना]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स,जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फलाई ऐश की ईंटें या फलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स”;

(vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“स्पष्टीकरण : यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3/32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017, में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारत सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारत सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

(viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण ”;
-------	---------	---

(ग) अनुसूची II- 6%में,-

(i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या रफली स्क्वयार्ड या आयाताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लॉक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं”;

(ii) क्रम संख्या 102,126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	63053200	फलैक्सिबल इंटरमिज्ड बुल्क कंटेनर”;
-------	----------	------------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 173में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द और कामा “वाकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स,” को निरसित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III – 9%में,-

- (i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रेड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;
-------	------	--

- (ii) क्रम संख्या 142, 143, 144और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंग्स और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकुमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं”;
---------	------	--

- (v) क्रम संख्या 383क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”, के पश्चात कामा और शब्द “,डिजीटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द “68सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंक और शब्द “32इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द "20इंच", के स्थान पर अंक और शब्द "32 इंच"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

"440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फन फेयर की वस्त् टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसि गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग ए उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएं [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजि कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90के बोर्ड जैसे लूडो आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न];
-------	------	--

(ड) अनुसूची IV - 14%में,-

(i) क्रम संख्या 47और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 139में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में "लीथियम ऑयन बैट्री", शब्दों के पश्चात "और अन्य लीथियम-ऑयन इक्व्यूमूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं"को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द "20 इंच"और अंक और शब्द "68 सेंटीमीटर", दोनों के स्थान पर अंक और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण";
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-33-2017-1-पांच (12), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-33-2017-1-V(12)

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3-33-2017-1-V(2) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-33-2017-1-V(42)- 2017 dated 29.06.2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 9", the words, brackets and figures "and sub-section (5) of section 15", shall be inserted;

(B) in Schedule I - 2.5%,

(i) S. Nos. 23,24 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed";
-------	------------	---

(iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"198A	4501	Natural Cork, raw or simply prepared";
-------	------	--

(iv) in S. No. 224, for the entry in column (2), the entry "63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;

(v) in S. No. 225, for the entry in column (3), the entry "Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair" shall be substituted;

(vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely: -

"225A	6602 00 00	Walking-Sticks including seat sticks
-------	------------	--------------------------------------

225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks”;
------	------	---

(vii) in S.No. 234, in the entry in column (3), , the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely,

“*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S.No. 38 of the Table mentioned in notification No. F A-3-32-2017-1-V(41)- 2017 dt 29.06.2017, the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies. The remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service”;

(viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons”;
-------	---------	--

(C) in Schedule II - 6%,

(i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork”;

(ii) S. No: 102,126and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii)S. No. 171A shall be re-numbered as S. No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“171A	63053200	Flexible intermediate bulk containers”;
-------	----------	---

(iv)in S. No. 173, in the entry in column (3), the words and commas "walking-sticks, seat-sticks," shall be omitted;

(v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(D) in Schedule III - 9%,

- (i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber";
-------	------	--

- (ii) S. Nos. 142, 143, 144 and the entries relating thereto, shall be omitted;

- (iii) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry "Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)" shall be substituted;

- (iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank";
---------	------	--

- (v) in S. No. 383A, in the entry in column (3), after the words "television cameras", the comma and words ", digital cameras and video camera recorders", shall be inserted;

- (vi) in S.No. 383C, in the entry in column (3), for the figure and word "68 cm", the figure and word "32 inches" shall be substituted;

- (vii) in S.No. 384, in the entry in column (3), for the figure and word "20 inches", the figure and word "32 inches" shall be substituted;

- (viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B, and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair table or parlour games, including pintables, billiard special tables for casino games and automatic bowlin alley equipment [other than playing cards, ganjifa carc chess board, carom board and other board games of 950 90 90 like ludo etc.]";
-------	------	--

(E) in Schedule IV - 14%,

- (i) S. No. 47 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) S. No. 135 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iii) in S.No. 139, in the entry in column (3), after the words "other than Lithium-ion battery", the words "and other lithium ion accumulators including lithium ion power banks" shall be inserted;
- (iv) S. No. 151 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (v) in S. No. 154, in the entry in column (3), for the figure and word "20 inches" and the figure and word "68 cm", both, the figure and word "32 inches" shall be substituted;
- (vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -
- | | | |
|------|------|---|
| "174 | 8714 | Parts and accessories of vehicles of heading 8711"; |
|------|------|---|
- (vii) S. No. 215 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (13).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पाँच (13) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3/35/2017/1/पांच (63) दिनांक 07-12-2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

1. अनुसूची में, -

i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राइन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मर्दों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खेराती उपयोग के लिए किया जाता हो”।
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (13), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-35-2017-1-V(13)

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3/35/2017/1/V (13) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3/35/2017/1/V (63) dated 30.06.2017, namely: -

In the said notification, -

1. In the schedule,

i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption";

ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated";
-------	---------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"153	Any chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State/ Union Territory, or any public servant, by way of public auction by the government, where auction proceeds are used for public or charitable cause".
------	----------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-04-2019-1-पांच (14).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-04/2019/1/पांच (14) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वाल्यूम-1 के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा आभूषणों के किसी पंजीकृत निर्यातक (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:-

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, वाल्यूम-1 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे ।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीखसे 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी ।
- (iii) जहां कि उपवाक्य (ii) यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले राज्य कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

"स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए

- (क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2015-2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम-1" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2015-2020, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स वॉल्यूम-1 से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अध्याय से है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-04-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-04-2019-1-पांच (14), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-04-2019-1-V(14)

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3/04/2019/1/V (14) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, Volume-I, to registered exporter of jewellery (herein referred to as "recipient"), from the whole of the State Tax leviable thereon, under section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and subject observe the procedures as prescribed in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures, Volume-I.
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency.
- (iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in clause (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of State Tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation: -for the purpose of this notification, -

- (a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification No.1/2015-2020, dated 1st April, 2015.
- (b) "Handbook of Procedures, Volume-1" means the Handbook of Procedure, Volume-1, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, vide Public Notice No.1/2015-2020, dated 1st April, 2015.
- (c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June 2017;
- (d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच (15).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (15) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में; मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में; मद (i) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (क) कॉलम (3) में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं।	2.5	बशर्त सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 के उपवाक्य (iv) को देखें]

- (ख) कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv)", के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivक)," को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष कॉलम (3) के मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) गुड्स कैरिज के तीसरे पक्ष का बीमा संबंधी सेवा ।	6	-
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), और (vi) से भिन्न वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं ।	9	-";

(ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम (3) के मद (viii) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना	राज्य कर की दर वही होगी जो कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो ।	-
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viiक) से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं जहाँ आपरेटर साथ में हो या नहीं ।	9	-";

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 34 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iiiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो	9	-";

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों को विलीपित कर दिया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में, मद (vi) में कोष्ठक और अंक "(ii)" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(iiiक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा

(झ) कॉलम (1) की क्रम संख्या 37 और कॉलम (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*38.	9954 या 9983 या 9987	किसी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या संस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के रूप में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की संस्थापना के बारे में दी गई हो - (क) बायो गैस प्लांट (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम (ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली (घ) विंड मिल्स, विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यूओ ईजी) (ङ) ऊर्जा संयंत्रों/उपक्रमों को कचरे (च) समुंद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपक्रम/संयंत्र स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना क्रमांक -3-33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 की अनुसूची I, क्र. सं. 234 के साथ पढ़ा जाएगा।	9	-";

(ii) पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (x) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(xi) “विशेष संगठन” से अभिप्राय , -

(i) कुमायूं मंडल विकास निगम लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या

(ii) ‘समिति’ या ‘राज्य समिति’, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है।

(xii) “गुड्स कैरिज” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के उप वाक्य (14) में दिया गया हो।”।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच (15), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-32-2017-1-V(15)

Bhopal, the 8th February 2019

No. FA3-32-2017-1-V(15) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in this department notification No. FA3-32-2017-1-V(41) dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

(i) in the Table, -

- (a) against serial number 3, in column (3), in item (xii), after the brackets, figures and word “(xi) above”, the word and number “and serial number 38 below” shall be inserted;
- (b) against serial number 7, in column (3), in item (i), in Explanation 1, the words “school, college.” shall be omitted;
- (c) against serial number 8, -

(A) after item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iva) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, by non-scheduled air transport service or charter operations, engaged by specified organisations in respect of religious pilgrimage facilitated by the Government of India, under bilateral arrangement.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation]”;

(B) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iv),”, the brackets and figures “(iva),” shall be inserted;

- (d) against serial number 15, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Service of third-party insurance of “goods carriage”	6	-
(vii) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), and (vi) above.	9	-”;

- (e) against serial number 17, for item (viii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(viii) Leasing or renting of goods	Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above	9	-”;

- (f) against serial number 21, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word “(i) above”, the words and number “and serial number 38 below” shall be inserted;
- (g) against serial number 25, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word “(i) above”, the words and number “and serial number 38 below” shall be inserted;
- (h) against serial number 34; -

(A) against item (ii) in column (3), for the entry in column (4), the entry “6” shall be substituted;

(B) after item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iia) Services by way of admission to exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is above one hundred rupees.	9	-”;

(C) in item (iia), the words “exhibition of cinematograph films,” shall be omitted;

(D) in column (3), in item (vi), after the brackets and figures “(ii),” the brackets and figures “(iia),” shall be inserted;

- (i) after serial number 37 in column (1) and the entries relating thereto in column (2), (3), (4) and (5) the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"38.	9954 or 9983 or 9987	Service by way of construction or engineering or installation or other technical services, provided in relation of setting up of following, - (a) Bio-gas plant (b) Solar power based devices (c) Solar power generating system (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG) (e) Waste to energy plants / devices (f) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants <i>Explanation:</i> - This entry shall be read in conjunction with serial number 234 of Schedule I of the notification No. F A-3-33/2017/1/V(42)- 2017 dated 29 th June, 2017.	9	”;

- (ii) in paragraph 4 relating to Explanation, after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xi) “specified organisation” shall mean, -

(a) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or

(b) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002).

(xii) “goods carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).”

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच (16).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(16) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(53) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21ख	शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967	किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में, निम्नलिखित को , प्रदान की जाने वाली सेवाएं , - (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27 क	शीर्षक 9971	किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात "बैंकिंग कंपनियां एवं" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

(घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963";

(ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्षक 9993	भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरेपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो।" ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच (16), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3-42/2017/1/V(16) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-42/2017/1/V(53)- 2017 dated 30 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21B	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.	Nil	Nil";

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27A	Heading 9971	Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).	Nil	Nil";

- (c) against serial number 34A, in the entry in column (3), after the letters and words "PSUs from the", the words "banking companies and" shall be inserted;
- (d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -
"Heading 9992 or Heading 9963";
- (e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74A	Heading 9993	Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centres established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).	Nil	Nil";

- (ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -
"(zaa) "financial institution" has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)."

2. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (17) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (59) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

- (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या
- (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या
- (ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी;”

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	बिजनेस फॅसिलिटेटर(बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फॅसिलिटेटर(बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13.	किसी बिजनेस कोरेसपॉइंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कोरेसपॉइंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस कोरेसपॉइंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनेस कोरेसपॉइंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
14.	किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय	ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले

<p>आपूर्ति करके दी गई हों):</p> <p>बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि, -</p> <p>(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या</p> <p>(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या</p> <p>(ग) सरकारी एजेंसियों,</p> <p>जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो”;</p> <p>(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति व्यक्ति जो कि मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों ।</p>	से भिन्न हो	भू-क्षेत्र में अवस्थित हो”;
--	-------------	-----------------------------

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- “(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे ।”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-47-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-47-2017-1-पांच (17), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A 3-47/2017/1/V(7) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-47/2017/1/V(59) dated 30 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 1, in the entry in column (2), after item (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road; to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.”;

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Services provided by business facilitator (BF) to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC).	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable territory
14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided to a registered person:	Any person other than a body corporate	A registered person located in the taxable territory.”;

<p>Provided that nothing contained in this entry shall apply to, -</p> <p>(i)(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or</p> <p>(b) local authority; or</p> <p>(c) Governmental agencies; which has taken registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or</p> <p>(ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.</p>		
---	--	--

- (ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -
“(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.”.

2. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच (18) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में वस्तुओं का केवल वही परिवहन शामिल है जो कि भारत में स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित किसी दूसरे स्थान तक होता है, अर्थात् भारत के ही भीतर बहुप्रकारीय परिवहन”

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।
3. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (18), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A 3-35/2017/1/V (18) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary to do so for the purpose of clarifying the scope and applicability of this department notification No. F A3-32-2017-1-V(41) dated 29 June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation 2.-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above items shall be renumbered as *Explanation 1*.

3. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-74-2017-1-पांच (19).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिचय की तिथिपर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-74-2017-1-पांच (137) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूटप्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, राज्य कर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो; ;

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा।” ;

(ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने “पूर्व आयात आधार पर” शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-74-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-74-2017-1-पांच (19), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3-74-2017-1-V(19)

In exercise of the powers conferred by section 147 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this department notification No. F A-3-74-2017-1-V (137) dated the 18th October, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S. No.1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the commissioner of State tax or any other officer authorised by him within 6 months of such supply;”

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.”;

(ii) In the Explanation against serial number 1 the words “on pre-import basis” shall be omitted.

2. This notification shall deemed to have come into effect from 15th January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.